

## बाल एवं महिला श्रम - II अनुभाग

### (सीएंडडब्ल्यूएल - II अनुभाग)

#### कार्य मदें

1. विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में महिला श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सूचनाओं का एकत्रण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार।
2. स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता के जरिए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए शोध, प्रशिक्षण और कल्याण के उपाय।
3. महिला श्रमिकों से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाना।
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन।
5. विभिन्न रोजगारों/उद्योगों के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम का विस्तार।
6. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत महिला श्रम पर केंद्रीय सलाहकार समिति को और महिला श्रम से संबंधित अन्य समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करना।
7. महिला श्रम से संबंधित मामलों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ संपर्क करना।
8. भारत सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद महिला श्रम पर आईएलओ सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्यवाही।

#### अन्य सूचना

अनुभाग का नाम: बाल एवं महिला श्रम - II

कमरा नं.: 336 'सी'

दूरभाष संख्या: ऑटो  
23001389 : 2389

#### चैनल के अधिकारी:

श्री एस.के. कपूर - अवर सचिव  
श्रीमती हरजोत कौर - निदेशक  
श्री शाहिद मीज़न - निदेशक  
श्री एस.के. श्रीवास्तव - संयुक्त सचिव  
सचिव

[www.labour.gov.in](http://www.labour.gov.in)  
पर भी जाएँ

<http://labour.gov.in>  
[/cwl/ChildLabour.htm](http://labour.gov.in/cwl/ChildLabour.htm)

9. महिलाओं की उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई।

\*\* \*\* \*